



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2008/श्रावण 29, 1930

No. 139]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2008/SRAVANA 29, 1930

भारतीय दंत परिषद

अभिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

संख्या डीई-130-2007 — दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारतीय दंत्य परिषद डीसीआई के संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 में निम्न संशोधन करती है:

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रत्यावर्तन

- (i) इन नियमों को भारतीय दंत्य परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. 'परीक्षा की स्कीम/शैक्षणिक क्रियाकलापों' में डीसीआई के संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम में जहां कहीं विशेषता-वार निर्दिष्ट किया गया है उनमें निम्न सुधार/संशोधन किए जाते हैं:

- (i) परीक्षा की स्कीम (विनियमों के पृष्ठ 67 पर)

निम्न शीर्षक के अधीन

ए. सैद्धांतिक:

400 अंकों के स्थान पर

300 अंक पढ़ें

(ii) परीक्षा की रक़ीम (विनियमों के पृष्ठ 47, 55, 68, 75, 86, 94, 103, 109, 117)

निम्न शीर्षक के अधीन

ए. सैद्धांतिक: 300 अंक

लिखित परीक्षा चार प्रश्न-पत्रों में होगी, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के कुल अंक 100 होंगे। प्रश्न-पत्र I, II और III में दो दीर्घ प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 20-20 अंक का होगा और 6 लघु निबंध प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 10-10 अंक का होगा।

के स्थान पर निम्न पढ़ें:

लिखित परीक्षा चार प्रश्न-पत्रों में होगी, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के कुल अंक 75 होंगे। प्रश्न-पत्र I, II और III में दो दीर्घ प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 20-20 अंक का होगा और 5 लघु निबंध प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 7-7 अंक का होगा।

(iii) शैक्षणिक क्रियाकलाप (पृष्ठ 55, 61, तथा 86 पर)

निम्न शीर्षक के अधीन

तीसरे वर्ष के बाद नैदानिक कार्य (पृष्ठ 55 पर) — पांचवा वाक्य

आरजीयूएचएस द्वारा यथानिर्धारित कार्य डायरी/लाग बुक रखना

के स्थान पर निम्न पढ़ें:

जिस विश्वविद्यालय के साथ कालेज को संबंधन प्राप्त है उसके द्वारा यथानिर्धारित कार्य डायरी/लाग बुक रखना

III वर्ष के बाद वर्ष-दर-वर्ष कार्यक्रम (पृष्ठ 61 पर)

यह वांछनीय है कि जिन सामान्य शल्यक्रियात्मक कौशलों तथा आपरेटिव क्रियाविधि का प्रेक्षण, सहायता अथवा निष्पादन किया गया हो, उन्हें एमडीएस डिग्री पाठ्यक्रम को शासित करने वाले संशोधित अध्यादेश में आरजीयूएचएस द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में लागू बुक में दर्ज किया जाए।

के स्थान पर निम्न पढ़ें:

यह वांछनीय है कि जिन सामान्य शल्यक्रियात्मक कौशलों तथा आपरेटिव क्रियाविधि का प्रेक्षण, सहायता अथवा निष्पादन किया गया हो, उन्हें एमडीएस डिग्री पाठ्यक्रम को शासित करने वाले संशोधित अध्यादेश में यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में लागू बुक में दर्ज किया जाए।

शोध-प्रबंध (पृष्ठ 86 पर)

(क) शोध प्रबंध के लिए प्रोटोकाल, घटनाओं के कैलेंडर के अनुसार दाखिले की तारीख से छः महीने पूरे होने की तारीख को या उससे पूर्व, उचित माध्यम से, कुल सचिव, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

के स्थान पर निम्न पढ़ें:

(क) शोध प्रबंध के लिए प्रोटोकाल, घटनाओं के कैलेंडर के अनुसार दाखिले की तारीख से छः महीने पूरे होने की तारीख को या उससे पूर्व, उचित माध्यम से उस संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके साथ कालेज को संबंधन प्राप्त है।

(ख) पूरा किया गया शोध प्रबंध, घटनाओं के कैलेंडर के अनुसार अंतिम परीक्षा से छः महीने पहले उचित माध्यम से, कुलसचिव (मूल्यांकन) राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक को भिजवा दिया जाना चाहिए।

के स्थान पर निम्न पढ़ें:

(ख) पूरा किया गया शोध प्रबंध, घटनाओं के कैलेंडर के अनुसार अंतिम परीक्षा से छः महीने पहले उचित माध्यम से, उस संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव (मूल्यांकन) को भिजवा दिया जाना चाहिए जिसके साथ कालेज को संबंधन प्राप्त है।

बाकी सामग्री पूर्ववत रहेगी।

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/98/2008]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एन. अवस्थी, सचिव

टिप्पणी: मूल संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग

III, खंड 4 में 21 नवंबर, 2007 को प्रकाशित हुए थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2008

No. DE-130-2007 - In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendments/corrections to the DCI's Revised MDS Course Regulations, 2007:-

1. Short title and commencement -

- (i) These Regulations may be called Dental Council of India Revised MDS Course (1st Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the 'SCHEME OF EXAMINATION/ACADEMIC ACTIVITIES', speciality-wise, wherever indicated in the DCI's Revised MDS Course Regulation, 2007, the following amendments/ corrections be made:-

- (i) **SCHEME OF EXAMINATION (at page 67 of the Regulations).**

Under the heading**A. Theory:-**

For - 400 marks

Read - 300 Marks

- (ii) **SCHEME OF EXAMINATION (at page Nos. 47, 55, 68, 75, 86, 94, 103, 109, 117 of the Regulations).**

Under the heading**A. Theory:- 300 marks**

For - Written examination shall consist of four question papers each of three hours duration. Total marks for each paper will be 100. Paper I, II and III shall consist of two long questions carrying 20 marks each and 6 short essay questions each carrying 10 marks.

Read- Written examination shall consist of four question papers each of three hours duration. Total marks for each paper will be 75. Paper I, II and III shall consist of two long questions carrying 20 marks each and 5 short essay questions carrying 7 marks each.

- (iii) **ACADEMIC ACTIVITIES (at page 55, 61 & 86)**

Under the Heading**Clinical Work (at page No. 55) - after 3rd Year- Fifth Sentences**

For - Maintenance of a work diary/Log book as

Read- Maintenance of work diary/Log book as prescribed by the concerned University to which the college is affiliated.

Year by year programme (at page No. 61) - after III Year.

For - It is desirable to enter General Surgical skills and operative procedure that are observed, assisted or performed in the Log Book in the format as given by RGUHS in the revised ordinance Governing MDS Degree course.

Read- It is desirable to enter General Surgical skills and operative procedure that are observed, assisted or performed in the Log Book in the Format as given by the concerned University in the revised ordinance Governing MDS Degree course.

Dissertation (at page No. 86)

For-(a)The Protocol for Dissertation should be submitted on or before the end of six months from the date of admission as per calendar of events to the Registrar, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, through proper channel.

Read-(a)The Protocol for Dissertation should be submitted on or before the end of six months from the date of admission to the Registrar of the concerned University to which the college is affiliated as per the calendar of events notified by the University concerned.

For-(b)The completed dissertation should be submitted 6 months before the final examination as per calendar of events to the Registrar (Evaluation), Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, through proper channel.

Read-(b)The completed dissertation should be submitted six months before the final examination as per calendar of events to the Registrar (Evaluation) of the University concerned to which the college is affiliated through proper channel.

The other contents remain unchanged.

[ADVT-III/IV/Entry/98/2008]

MAJ. GEN. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.

Note: Principal Revised MDS Course Regulations, 2007 were published in Part-III, Section 4, Gazette of India, Extraordinary, on 21st November, 2007.